राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 949/2008/जयपुर

सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर, विशेष वृत–तृतीय
जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स रामदेव फ़ूड प्रोडक्ट्स प्रा.लि.,
दीनानाथ जी की गली,जयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी राजस्व की ओर से

श्री अलकेश शर्मा
अभिभाषक ..... प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 22.05.2017

निर्णय

अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स)चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे**"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 28/आरएसटी/अपील्स–चतुर्थ/2005–06/जेपीएफ/ में पारित आदेश दिनांक 29.05.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी,विशेष वृत–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 34 सपठित धारा 58 एवं 68 के अन्तर्गत दिनांक 27.01.2006 को पारित करते हुए कर रू. 11,777/– व रू. 16,760/–,ब्याज रू. 68,471/– एवं शास्ति रू. 1000/– आरोपित की है, को अपास्त किया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 1995–96 का मूल कर निर्धारण अधिनियम की धारा 29(7) के अन्तर्गत दिनांक 28.02.1998 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जाकर कर रू. 32,146/–, धारा 68 के अन्तर्गत शास्ति रू. 1000/– एवं धारा 58 के अन्तर्गत ब्याज रू. 14,268/–आरोपित करते हुए कुल रू 47,414/–की मांग सृजित की गई थी। उक्त सृजित मांग के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने जांच पर पाया कि बिलों में "Price included sales tax" अंकित किया गया है। अतः इस बिन्दु की जांच की किया जाना आवश्यक मानते हुए अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 17.01.2005 को आदेश पारित कर निर्देश दिये कि " माल खरीद मूल्य एवं बिक्री मूल्य तथा खर्चा व लाभांश जोडने के उपरान्त बिक्री मूल्य किस दर से निर्धारित किया गया है, यदि इस गणना में किसी प्रकार का अपवंचन पाया जाता है तो सशक्त अधिकारी नियमानुसार करारोपण करते हुए शास्ति व ब्याज अधिरोपण की कार्यवाहीं करें"। उक्त निर्देशों के साथ प्रकरण सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है। उक्त प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में

सशक्त अधिकारी ने दिनांक 27.01.2006 को पुनः आलोच्य वर्ष 1995–96 का आदेश पारित करते हुए यह अंकित किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार तथ्यों की जांच व्यवसाई द्वारा प्रस्तुत लेखा पुस्तकों से नहीं हो सकती है और पूर्व में पारित मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.02.1998 के सृजित की गई मांग को यथावत रखा है। अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में सशक्त अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 27.01.2006 से क्षुब्ध होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा पुनः अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित कर,ब्याज एवं शास्ति को अपास्त किया है, जिससे क्षुब्ध होकर विभाग की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी ।

अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने सशक्त अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी राज्य के बाहर से कर योग्य माल आयात करता है परन्तु बिक्री बिलों में अलग से कर वूसल नही कर रहा है और विक्रय बिलों की राशि में स्वेच्छा से कर राशि सम्मिलित होना मानकर कर जमा करा रहा है, इसलिए सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित कर,ब्याज एवं शास्ति पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति को अपास्त किया जानां अनुचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 17.01.2005 को पारित कर प्रकरण कर कतिपय निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया था किन्तु सशक्त अधिकारी द्वारा उन निर्देशों की पालना किये बिना ही पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.01.2006 पारित किया है, इसलिए उक्त आदेश द्वारा सृजित की गई मांग को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया है, जो पूर्णतः विधिक एवं उचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का मूल कर निर्धारण सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 28.02.1998 को कर सशक्त अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जाकर कुल रू 69,706/–की मांग सृजित की गई थी,में से रू. 47,414/–को अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित किया गया है। उक्त सृजित मांग के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने जांच पर पाया कि बिलों में "Price included sales tax" अंकित किया गया है। अतः इस बिन्दु की

जांच किया जाना आवश्यक मानते हुए अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 17.01.2005 को आदेश पारित कर निर्देश दिये कि " माल खरीद मूल्य एवं बिक्री मूल्य तथा खर्चा व लाभांश जोडने के उपरान्त बिक्री मूल्य किस दर से निर्धारित किया गया है, यदि इस गणना में किसी प्रकार का अपवंचन पाया जाता है तो सशक्त अधिकारी नियमानुसार करारोपण कर शास्ति व ब्याज अधिरोपण की कार्यवाहीं करें"।

अपीलीय अधिकारी द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों की पालना में सशक्त अधिकारी ने पारित किये गये आदेश दिनांक 27.01.2006 में अंकित किया कि "श्रीमान उपायुक्त अपील्स–चतुर्थ, जयपुर के निदेर्शो की पालना में उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार उक्त तथ्यों की जांच व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत लेखा पुस्तकों से नहीं हो सकती है,..... इस कारण से श्रीमान उपायुक्त अपील्स–चतुर्थ, जयपुर द्वारा प्रतिप्रेषित उक्त प्रकरण का निस्तारण पूर्व में पारित आदेश दिनांक 28.02.98 को यथावत रखते हुए मांग संरचना निम्न प्रकार की कायम की जाती है...।" सशक्त अधिकारी ने उक्त टिप्पणी अंकित करते हुए रू. 1,01,804/–की मांग सृजित की है।

हस्तगत प्रकरण में इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं था कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा "विक्रय राशि" "Sale price" क्या संग्रहित की गई है क्योंकि अधिनियम के अनुसार taxable turnover घोषित किया हुआ था। प्रकरण में प्रश्न केवल यह था कि कर योग्य माल पर कर पृथक से वूसल करना चाहिए था परन्तु प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा ऐसा नहीं किया गया बल्कि "Sale price" में प्राप्तियों में 'कर' की राशि भी सम्मिलित कर वसूल की गई है। इस तरह कुल taxable turnover में 'कर' की राशि सम्मिलित होने से कर की राशि पर भी कर वसूली सशक्त अधिकारी द्वारा की गई है। इस सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी का आदेश विधि एवं न्यायानुकूल नहीं है बल्कि कुल घोषित टर्नओवर में कर राशि सम्मिलित होने,उतनी राशि (कर के बराबर ——— राशि) टर्नओवर में से कम कर नेट विक्रय राशि में टर्नओवर पर कर की गणना करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

फलतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को अपास्त कर विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष